



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-02112021-230894
CG-MH-E-02112021-230894

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 534]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 1, 2021/कार्तिक 10, 1943

No. 534]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 1, 2021/KARTIKA 10, 1943

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 26 अक्टूबर, 2021

फा.सं. टीएएमपी/47/2021-एमबीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद् द्वारा अस्थाई साइलो के निर्माण और भांडागार के रूप में प्रयोग के लिये 10 भूखंडों के आबंटन की दर अनुसूची निर्धारण के मुंबई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव का, इसके साथ संलग्न आदेशानुसार, निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या टीएएमपी/47/2021-एमबीपीटी

मुंबई पत्तन न्यास

आवेदक

गणपूर्ति

(i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री सुनील कुमार सिंह, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(अक्टूबर, 2021 के 25 वें दिन पारित)

यह मामला अस्थाई साइलो के निर्माण और भांडागार के रूप में प्रयोग के लिये 10 भूखंडों के आबंटन की दर अनुसूची निर्धारण के

लिये मुम्बई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) के 26 अगस्त, 2021 के पत्र संख्या एफए/ओईए-एल/34(21)/डीटी/201 के अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. एमबीपीटी का प्रस्ताव संशोधित भू-नीति दिशानिर्देश 2015 पर आधारित है। प्रस्ताव के बारे में संबंधित प्रयोक्ताओं / किरायेदारों / पट्टाधारकों के साथ परामर्श किया गया। इस मामले में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से 13 अक्तूबर, 2021 को एक संयुक्त सुनवाई का आयोजन किया गया। संयुक्त सुनवाई में एबीपीटी और प्रयोक्ताओं ने अपने-अपने निवेदन रखे।

3. मामले के संसाधन के दौरान एकत्र की गई सूचना की समग्रता और सामूहिक विचार विमर्श के आधार पर, इस प्राधिकरण ने अस्थाई साइलो के निर्माण और भांडागार के रूप में प्रयोग के लिये 10 भूखंडों के आबंटन की दर अनुसूची के अनुमोदन के लिए एमबीपीटी दायर प्रस्ताव का निपटान करते हुए एक सकारण आदेश पारित किया।

4. यह प्राधिकरण चाहता है कि निजी पक्षों द्वारा एबीपीटी की भूमि पर बल्क वस्तुओं जैसे सिमेंट, फ्लाई-एश आदि के लिये रेल काटन डिपो (आरसीडी) और पार्दीवाडा स्थित भू-खंडों में अस्थाई साइलों के निर्माण और लाईसेंस आधार पर भावी बोलीकर्ताओं को भांडागार के रूप में प्रयोग के लिये 10 भू-खंडों के “जहाँ है, जैसा है” आधार पर आबंटन के पट्टा किरायों के संदर्भ में आरक्षित मूल्य के निर्धारण की निम्नलिखित किराया अनुसूची को, सकारण आदेश की अधिसूचना की प्रतीक्षा किये बिना, अधिसूचित किया जाये:

“ अस्थाई साइलो के निर्माण के लिये भूमि आबंटन और भांडागार के रूप में प्रयोग के लिये 10 भूखंडों के आबंटन की दर अनुसूची

(i). निजी पक्षों द्वारा एबीपीटी की भूमि पर बल्क वस्तुओं जैसे सिमेंट, फ्लाई-एश आदि के लिये अस्थाई साइलों के निर्माण की दर अनुसूची

क्रम संख्या	भूखंड का नाम और अवस्थिति	क्षेत्र	दर प्रति वर्ग मीटर प्रति माह (₹.में)
1	1. रेल काटन डिपो (आरसीडी) में भूखंड	1.5 एकड़	120.00
2	2. पार्दीवाडा स्थित भू-खंड	प्रत्येक 5000 वर्ग मीटर	

(ii). लाईसेंस आधार पर भावी बोलीकर्ताओं को भांडागार के रूप में प्रयोग के लिये 0 भू-खंडों के “जहाँ है जैसा है” आधार पर आबंटन की दर अनुसूची

क्रम संख्या	भूखंड का नाम	भूखंड की अवस्थिति	अनुमानित आकार/भूखंड का क्षेत्र (वर्ग मीटर में)			मुम्बई पत्तन में पोत/रेल द्वारा प्रहस्तिता कार्गो भंडारण के लिये भांडागार (पत्तन कार्गो)	मुम्बई पत्तन में पोत/रेल द्वारा प्रहस्तिता कार्गो से इतर अनन्य कार्गो के भंडारण अथवा वाणिज्यिक प्रयोग के लिये भांडागार (गैर पत्तन कार्गो / वाणिज्यिक प्रयोग)
			खुला क्षेत्र	ढका क्षेत्र	कुल क्षेत्र		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पुराना स्वीरी भांडागार	स्वीरी एस्टेट	0	2,027	2,027	159.00	760.41
2	टी डब्ल्यू-1	काटन डिपू	0	15,849.96	15,849.96	159.00	1043.79
3	बी प्लॉट	काटन डिपू	7,539	0	7,539	120.00	1043.79
4	के शेड	कोयला और खाद्यान डिपू	0	5,040	5,040	159.00	985.34
5	एल शेड	कोयला और खाद्यान डिपू	0	4,900	4,900	159.00	985.34

6	एन शेड	कोयला और खाद्यान डिपू	0	9,800	9,800	159.00	985.34
7	एफ शेड	कोयला और खाद्यान डिपू	7,420	0	7,420	120.00	985.34
8	जी शेड	कोयला और खाद्यान डिपू	0	4,900	4,900	159.00	985.34
9	एच शेड	कोयला और खाद्यान डिपू	0	4,900	4,900	159.00	985.34
10	टी डब्ल्यू-2	काटन डिपू	0	12,199	12,199	159.00	1043.79

(i) और (ii) के लिये टिप्पणः

- ऊपर दी गयी दरें प्रति वर्ग मीटर प्रति माह हैं।
 - उक्त दरों में सभी कर (जीएसटी, नगरपालिका कर आदि), सेवा प्रभार, शास्तियां, ब्याज आदि शामिल नहीं है। इनका भुगतान पट्टाधारकों / किरायेदारों / लाइसेंस धारकों द्वारा, यथा लागू, प्रचलित दर पर अलग से देना होगा।
 - बोलीकर्ता को आधार दर पर प्रीमियम की राशि भी बतानी होगी जिससे उच्चतम प्रीमियम प्रस्ताव के आधार पर आगे आबंटन करने का निर्णय लिया जायेगा।
 - समय समय पर बोर्ड द्वारा बनायी गई नीति के अनुसार अनुमत अवधि से इतर ब्याज प्रभार्य होगा।
 - चाहे मांग की गई है या नहीं, पट्टाधारकों / किरायेदारों / लाइसेंस धारकों द्वारा किसी महीने का किराया/प्रतिकर/लाइसेंस शुल्क का भुगतान देय तारीख तक करना होगा।
 - उपरोक्त दर प्रति वर्ष अक्टूबर में @4% बढ़ जायेगा और ऐसी पहली वृद्धि 01 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी होगी।
 - दरें इस अनुसूची के प्रभावी होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिये लागू रहेंगी।
5. लाइसेंस शुल्क अनुसूची भारत के राजपत्र में पारित आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के पश्चात प्रभावी होगी और पांच वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी। तत्पश्चात दिया गया अनुमोदन स्वतः ही व्यपगत हो जायेगा जब तक कि इस प्राधिकरण द्वारा इसका विशिष्ट रूप से विस्तार नहीं कर दिया जाता।
6. इस प्राधिकरण द्वारा पारित सकारण आदेश अलग से सूचित किया जायेगा तथा एमबीपीटी और संबंधित किरायेदारों / पट्टाधारकों को बाद में संसूचित किया जायेगा।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./399/2021-22]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 26th October, 2021

F.No. TAMP/47/2021-MBPT In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Mumbai Port Trust (MBPT) for fixation of Schedule of Rates (SOR) for erection of temporary silos and allotment of 10 plots for use as warehouses, as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/47/2021-MBPT

Mumbai Port Trust

Applicant

QUORUM

- Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)

ORDER(Passed on this 25th day of October 2021)

This case relates to a proposal received from Mumbai Port Trust (MBPT) vide its letter No. FA/OEA-L/34(21)/DT/201 dated 26 August 2021 seeking approval for fixation of Schedule of Rates (SOR) for erection of temporary silos and allotment of 10 plots for use as warehouses.

2. The proposal of MBPT is based on the amended Land Policy Guidelines, 2015. The proposal was taken on consultation with the relevant users/ tenants/ lessees. A joint hearing on the case in reference was held on 13 October 2021 through Video Conferencing. At the joint hearing, the MBPT and the users have made their submissions.

3. With reference to the totality of information collected during the processing of the case and based on a collective application of mind, this Authority has passed a speaking Order disposing of the proposal filed by the MBPT for fixation of Schedule of Rates (SOR) for erection of temporary silos and allotment of 10 plots for use as warehouses.

4. This Authority desires that the following Rent Schedule for MBPT prescribing Reserve price in terms of Lease rentals in respect of land parcels at Rail Cotton Depot (RCD) and Paardiwada for erection of temporary silos for bulk commodities such as Cement, Fly Ash, etc. on MbPT land by Private Parties and for allotment of 10 plots of MbPT for use as warehouses to intending bidders on license basis and on “as is where” is basis, may be notified without waiting for notification of the Speaking Order:

“

**SCHEDULE OF RATES (SOR) FOR ALLOTMENT OF LAND FOR ERECTION OF
TEMPORARY SILOS AND FOR ALLOTMENT OF 10 PLOTS FOR USE AS
WAREHOUSE.**

(i). **Schedule of Rate for erection of temporary silos for bulk commodities such as Cement, Fly Ash, etc. on MbPT land by Private Parties**

Sr. No.	Plot Name and Location	Area	Rate Per Sq. Mtr. Per Month (In ₹.)
1	1 Plot at Rail Cotton Depot (RCD)	1.5 Acres	120.00
2	2 Plots at Paardiwada	5000 Sq. Mtrs. each	

(ii). **Schedule of Rate for allotment of 10 plots of MbPT for use as warehouses to intending bidders on license basis and on “as is where” is basis.**

Sr. No.	Plot Name	Location of Plot	Approx. size/area of Plot (In Sq. Mtrs.)			Warehouses for storage of cargoes handled by ships/ railways in Mumbai Port (Port Cargo)	Warehouses for storage of cargoes not exclusive handled by ships/ railways in Mumbai Port or for commercial user (Non Port Cargo / commercial use)
			Open Area	Covered Area	Total Area		
1	2	3	4	5	6	Rate Per Sq. Mtr. Per Month (In ₹.)	7
1	Old Sewree Warehouse	Sewree Estate	0	2,027	2,027	159.00	760.41
2	TW-1	Cotton Depot	0	15,849.96	15,849.96	159.00	1043.79
3	B Plot	Cotton Depot	7,539	0	7,539	120.00	1043.79
4	K Shed	Coal and	0	5,040	5,040	159.00	985.34

		Grain Depot					
5	L Shed	Coal and Grain Depot	0	4,900	4,900	159.00	985.34
6	N Shed	Coal and Grain Depot	0	9,800	9,800	159.00	985.34
7	F Shed	Coal and Grain Depot	7,420	0	7,420	120.00	985.34
8	G Shed	Coal and Grain Depot	0	4,900	4,900	159.00	985.34
9	H Shed	Coal and Grain Depot	0	4,900	4,900	159.00	985.34
10	TW-2	Cotton Depot	0	12,199	12,199	159.00	1043.79

Notes for (i) and (ii):

1. Rates mentioned above are per Sq. Mtr. per month.
 2. Above rates are exclusive of all Taxes (GST, Municipal Taxes, etc.), Service Charges, Penalties, and Interest etc. Same are separately payable by lessees/ tenants/licensees, as may be applicable at the prevailing rates.
 3. The bidder has to quote premium amount over the base rate which will decide further allotment based on highest premium offered.
 4. Interest would be chargeable beyond permissible period as per Board's policy from time to time.
 5. Whether demanded or not, rent/ compensation/ license fee for a month would have to be paid by the tenants/ lessees/ licensees/ occupants within due date.
 6. The rate is subject to an increase @ 4% p.a. every October and so on and that first such increase shall be effective from 01 October 2022.
 7. The rate shall remain in force for a period of five years from the date of effect of this schedule. ”
5. The Schedule of Rates will come into force after expiry of 30 days from the date of notification of the Order passed in the Gazette of India and shall remain in force for a period of five years thereon. The approval accorded shall automatically lapse thereafter unless specifically extended by this Authority.
6. The Speaking Order passed by this Authority will be intimated separately and communicated to the MBPT and the relevant tenants/ lessees in due course of time.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./399/2021-22]